संख्या– 4281 /8–3–10–177विविध/2010

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद
लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0 प्र0।
3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास
प्राधिकरण, उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ : दिनॉक 25 नवम्बर, 2010

विषयः– भूमि अधिग्रहण के मामलों में परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक श्री के.के.सिन्हा, प्रमुख सचिव,राजस्व अनुभाग–13 के शासनादेश संख्या–1490/1–13–10–20(29)/2004, दिनॉक 01.11.10,(छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजस्व अनुभाग–13 के संलग्न शासनादेश में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत करते हुए तद्नुरूप ही भूमि अधिग्रहण के संबंध में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त।

भवदीय

रवीन्द्र सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग,उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,उ0प्र0।
4. अपर निदेशक, नियोजन, आवास बन्धु, जनपथ–लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत शासनादेश की प्रति समस्त सर्वसंबंधितों को उपलब्ध कराते हुए इसे जन–साधारण के उपयोगार्थ आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव।

प्रेषक,

के0के0सिन्हा,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1—समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3—समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 2290 / ... दिनांक ..... /11/2010

राजस्व अनुभाग—13 लखनऊ दिनांक 01 नवम्बर, 2010

विषय— भूमि अधिग्रहण के मामलों में परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्रस्थापन एवं पुनर्वास के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेशसंख्या—1321 / 1—13—04—20(29) / 04—रा—13, दिनांक10 अगस्त,2004,शासनादेशसंख्या—361 / 1—13—2006—20(29) / 2004—रा—13,दिनांक 28—2—2006, शासनादेश संख्या—1252 / 1—13—10—20((29) / 2004—रा—13, दिनांक 17 अगस्त, 2010 तथा शासनादेश संख्या—1307 / 1—13—10—20(29) / 2004—रा—13, दिनांक 03—9—2010 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति— 2003 के प्रस्तर—4.1 तथा प्रस्तर—4.8 के अनुसार जिला कलेक्टर से अन्यून पद के अधिकारी को परियोजना के संबंध में पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास के लिए प्रशासक के रूप में तथा सरकार के आयुक्त / सचिव से अन्यून पद के किसी अधिकारी को पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास आयुक्त नियुक्त किया जायेगा।शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि किसी परियोजना हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए धारा—4 की अधिसूचना जारी करने के तत्काल बाद अथवा धारा—6 की अधिसूचना जारी करने के पूर्व 'प्रशासक' एवं 'आयुक्त' की नियुक्ति करा दी जाय। संबंधित प्रशासक / आयुक्त की संस्तुति प्राप्त करने के उपरान्त ही परियोजना से संबंधित भू—अधिग्रहण प्रस्तावों में धारा—6 की अधिसूचना जारी की जाय।

2— कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही भू—अर्जन करने वाले प्रशासकीय विभाग सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के0के0सिन्हा)
प्रमुख सचिव

(रवीन्द्र सिंह)
प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0 प्र0 शासन

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
2— निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद,उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(विष्णु प्रताप सिंह)
विशेष सचिव